कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 28.11.2016

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में Sh. Mukesh Kumar Jain द्वारा अनुबंध संख्या 01/2010-11 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction of Foota Anicut, under TAD Panchayat Samity, Kherwara Distt. Udaipur" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री विनोद शाह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भांग, उदयपुर द्वारा अधिकृत)

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलूम्बर उपस्थित हुये तथा संवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

टी.ए.डी. मद में फुटा एनीकट में अनुबन्ध की धारा 23 के अन्तर्गत श्री मुकेश कुमार जैन, संवेदक, निवासी आंतरी, जिला डूंगरपुर द्वारा प्रेषित किये गये क्लेम पर पूर्व में स्टेण्डिंग कमेटी के द्वारा दिनांक 1/11/2011 को संवेदक द्वारा अपना पक्ष रखने के पर्याप्त समय दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नही होने से संवेदक का क्लेम कमेटी द्वारा निरस्त किया गया।

संवेदक द्वारा ए.डी.जे. सलूम्बर में वाद सं. 44/13 (1/16) वाद दायर किया, जिसका निर्णय ए.डी.जे. सलूम्बर ने दिनांक 3/2/2016 को पारित करते हुए यह अंकित किया कि आदेश दिनांक 1/11/2011 खण्डीत किया जाता है। पुनः सुनवाई का उपयुक्त अवसर देकर कोस ऑब्जेक्शन कर निस्तारण किया जावें।

न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के तहत उप सचिव एवं प्रा.स. वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर के आदेश सं. F-9 (205) AS / I / Cell / 16 / 6392 dated 16.11.2016 द्वारा 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में संविदा की धारा 23 के अन्तर्गत इम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रखी गई, जिसकी सूचना संवेदक को सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ऋषभदेव द्वारा उन्हे दूरभाष पर, मेसेज द्वारा एवं उनके घर पर नोटिस भिजवाकर तामिल करवाया गया। संवेदक श्री मुकेश कुमार जैन एवं इनका कोई भी प्रतिनिधि मिटींग में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नही हुआ।

अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत किया कि संवेदक को पर्याप्त मौका देने पर भी उनके द्वारा पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं होने से यह प्रकट होता है कि संवेदक के पास उसके विरूद्ध की गई अनुबंध के क्लाज 2 की कार्यवाही के विरूद्ध कोई उपयुक्त आधार नहीं है और ना ही कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई कोस ओब्जेकशन है, वे सिर्फ उनके विरूद्ध की जा रही वसूली की कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से कार्यवाही संचालित कर रहे है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जावे।

समस्त पहलुओं एवं पूर्व निर्णय दिनांक 01.11.2011 पर पुनः विचार कर पाया कि निर्णय में संवेदक के विरूद्ध अनुबंध के क्लाज 2 के तहत क्षतिपूर्ति लगाये जाने के पर्याप्त आधार दिये गये है अतः कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व निर्णय दिनांक 01.11.2011 को यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया।

(राजेन्द्र कुमार पारीक)	(विनोद शाह)	(लोकेश तिवाड़ी)	(जाकिर हुसैन)	(शिखर अग्रवाल)
अति. मुख्य अभियन्ता,	अति. सचिव एवं	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव	शासन सचिव
जल संसाधन सम्भाग,	मुख्य अभियन्ता,	प्रतिनिधि विधि विभाग	प्रतिनिधि वित्त विभाग	जल संसाधन विभाग
उदयपुर	जल संसाधन राज. जयपुर			राजस्थान, जयपुर।